



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3512 / SEIAA/2022

Date: 21/3/22

प्रति,

कलेक्टर  
जिला राजगढ़ (म.प्र.)

विषय:-प्रकरण क्रमांक 6528/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री अल्ताफ खान, जीरापुर, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 2850 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1127/1/1, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम खिलचीपुर, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 710 वी बैठक दिनांक 08.03.2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया .....

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 एवं 402वी बैठक दिनांक 05.11.2019 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ के पत्र क्र. 142 दिनांक 24.01.2021 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत होना बताया गया है। अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 500 मीटर की परिधि दो खदानों के अतिरिक्त अन्य खदान भी परिलक्षित हो रही है, जिसका कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक है। संभवतः प्रकरण बी-1 श्रेणी में आयेगा।

प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया एवं जिला कलेक्टर राजगढ़ से 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी के संबंध में 07 दिवस में स्पष्ट स्थिति प्राप्त की जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया एवं प्रस्तावित खदान के 500 की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वर्तमान स्पष्ट स्थिति की जानकारी 07 दिवस में SEIAA कार्यालय को प्रेषित करें।

(श्रीमन् बुद्धला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3513 /SEIAA/2022

दिनांक - 21/3/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. वनमंडलाधिकारी, जिला राजगढ़ (म.प्र.)
5. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. खनिज अधिकारी, जिला राजगढ़ (म.प्र.)
9. श्री अल्ताफ खान, जीरापुर, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी